

**अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/—/18, दिनांक: : 24: अगस्त-2018,

**-:: आदेश ::-**

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-1723/18 दिनांक 31.07.18 द्वारा दिनांक 30.08.18 व 31.08.18 के लिए सहारनपुर पीठ के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-सहारनपुर (वि0) की खंड पीठ गठित की गयी थी।

अपरिहार्य कारणों से उक्त गठित खंड पीठ में संशोधन करते हुए दिनांक 30.08.18 व 31.08.18 के लिए " अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ " के स्थान पर " सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम इलाहाबाद " को नामित किया जाता है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह0-24.8.18

( विकार अहमद अन्सारी )

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन/1894/2018, तद्दिनांकित  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, इलाहाबाद पीठ प्रथम, इलाहाबाद
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, सहारनपुर पीठ, सहारनपुर।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/नाजिर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।